5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(5)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 15 निगरानी

1 हुसैनी बानो पति युनुस खां एवं पुत्री कल्लू बेग उम्र– 65 वर्ष, धंधा– कृषि, निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

2 नूरजहां पति हमीद खां एवं पुत्री कल्लू बेग, उम्र– 62 वर्ष, धंधा– कृषि, निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

3 शाहजहां पिता कल्लू बेग, उम्र– 45 वर्ष, धंधा– कृषि, निवासी–235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

.....................प्रार्थीगण

––विरूद्ध––

1 भारती शर्मा पति अरविंद शर्मा, आयु– 55 वर्ष लगभग, धंधा– गृहकार्य, निवासी– दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

2 तनवीर बेग पिता स्व. दिलावर बेग, उम्र– 40 वर्ष, धंधा– कृषि, निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

.....................प्रतिप्रार्थी

विषय – न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ–6/14/15 में पारित आदेश दिनांक 27/11/2015 के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

भूमिका

1. यह कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में कथित विक्रय पत्र दिनांक 31/03/1997 के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु वर्ष ... प्रस्तुत किया था। यह आवेदन पत्र प्रस्तुती के पूर्व ही दिलावर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 11–तीन/2016 जिला उज्जैन

हुसैनी बानो आदि विरूद्ध भारती शर्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-2-2016	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण कमांक 98/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि वादस्ग्रस्त भूमि के संबंध में कथित विकय पत्र दिनांक 31–3–1997 के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण में सहभूमिस्वामी होने के आधार पर आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आवश्यक पक्षकार होना बताया था जिस पर दिनांक 16–7–15 को अनावेदक कमांक 1 ने नामांतरण प्रकरण में पक्षकार बनाने पर सहमति दी थी परन्तु आदेश दिनांक 27–11–15 में अनावेदक कमांक 1 ने आवेदकगण के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहती है इस आधार पर तहसील न्यायालय ने आवेदकगणों को पक्षकार नहीं बनाने के आदेश देने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में निगरानी के साथ प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं की सत्यपिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 16–7–15 को आवेदिकाओं के प्रकरण में उपस्थित होने पर आदेश 1 नियम 10 के आवेदन	

डिप्टी कलेक्टर

हेतु समय की मांग की गई तथा पुनश्चः में अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रकरण में आवेदिकाओं को पक्षकार के रूप में संयोजित करने में सहमति दी है। तत्पश्चात तहसीलदार ने आदेशिका दिनांक 27–11–15 को अनावेदक कमांक 1 के जिसमें आवेदिकाओं के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहते हैं। अनावेदक कमांक 1 के इस तर्क के आधार पर तहसीलदार ने आवेदिकाओं को पक्षकार संयोजित नहीं करने का आदेश पारित किया है। एक बार आवेदिकाओं को पक्षकार बनाने पर सहमति देने के उपरांत पुनः अनावेदक के तर्क के आधार पर उसके विपरीत आदेश करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आवेदिकाओं को पक्षकार संयोजित नहीं करने सम्बन्धी आदेश निरस्त किया जाता है तथा तहसील न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदिकाओं के पक्षकार बनाने बावत आवेदन प्राप्त होने पर विधिवत दोनों पक्षों को सुनकर निराकरण करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य